

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 56/2020-सीमा शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2020

सा.का.नि. (अ) -सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उपधारा (2), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1), की धारा 37 की उपधारा (2), और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली 2017 के नियम 3 और 4 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 07/2020-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 28.01.2020, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. 55(अ) दिनांक 28.01.2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

(i) अध्याय -29 में,-

(क) टैरिफ मद 292205 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 2930 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2930	कार्बन -सल्फर यौगिक			
293001	विनाइल सल्फॉनएस्टर	कि.ग्रा.	3.8%	47.1
293099	अन्य		1.3%";	

(ii) अध्याय -64 में,-

(क) टैरिफ मद 640301 के समक्ष,-

(i) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5.4%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(i) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "145" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 640305 के समक्ष,-

(i) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5.4%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(i) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "130" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) टैरिफ मद 640307 के समक्ष,-

(i) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5.4%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(i) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "73" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) टैरिफ मद 640309 के समक्ष,-

(i) कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5.4%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(i) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "81" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ड) टैरिफ मद 640311 के समक्ष,-

(i)कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6.2%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(i) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "148" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) टैरिफ मद 640312 के समक्ष,-

(i)कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5.9%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(i) कालम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर "114" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) अध्याय -71 में,-

(क) टैरिफ मद 711301 के समक्ष, कालम (4) में,"372.9" अंकों के लिए,"431.1" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मदों 711302 और 711401 के समक्ष, कालम (4) में,"4332.2" अंकों के लिए,"4105.6" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) अध्याय -87 में,

(क) टैरिफ मद 870301 के समक्ष,कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मैन्युअल ट्रांसमिशन अथवा ऑटोमैटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन के साथ 1000cc से कम सिलेंडर क्षमता की मोटर कारे" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 870303 के समक्ष,कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मैन्युअल ट्रांसमिशन अथवा ऑटोमैटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन के साथ 1000cc की और ऊपर तथा 1200cc तक सिलेंडर क्षमता की मोटर कारे" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) टैरिफ मद 870305 के समक्ष,कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मैन्युअल ट्रांसमिशन अथवा ऑटोमैटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन के साथ 1200cc की और ऊपर तथा 1500cc से कम सिलेंडर क्षमता की मोटर कारे" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) टैरिफ मद 870307 के समक्ष,कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मैन्युअल ट्रांसमिशन अथवा ऑटोमैटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन के साथ 1500cc और उससे ऊपर सिलेंडर क्षमता की मोटर कारे" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2020 से लागू होगी।

[फा.सं. 609/18/2020-डीबीके]

(गोपाल कृष्णा झा)

निदेशक (डाबेक)

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 07/2020-सीमा शुल्क (गै.टै), दिनांक 28.01.2020, को भारत के राजपत्र, असाधारण,भाग-II, खंड 3, उपखंड (i), दिनांक 28.01.2020 सा.का.नि. 55(अ), दिनांक 28.01.2020, के तहतमें प्रकाशित किया गया था।

